तंजीम-ए-सूफिया

बनाम

बीबीहलीमान और अन्य

03 सितंबर 2002

(आर.सी. लाहोटी और ब्रिजेश कुमार, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908--आदेश XXI नियम 97, 99 और 101- वाद परिसर के कब्जे में तीसरे पक्ष की आपत्ति--बेदखली के लिए डिक्री-निष्पादन याचिकातीसरे पक्ष ने दायर की इस घोषणा के लिए प्रार्थना के साथ स्वत्व वाद दायरकिया कि डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है और आदेश XXI नियम 97 के तहत केवियेट में सुनवाई के लिए - डिक्री धारक कब्जे के परिदान की रिट जारी करने के लिए याचिका दायर कर रहा है - याचिका में तीसरे पक्ष की याचिका पर सुनवाई की जाएगी इसे आदेश XXI नियम 97 के तहत आवेदन के रूप में मानते हुए निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने भी उसी राहत के लिए तीसरे पक्ष द्वारा किए गए वाद को ध्यान में रखते हुए अपील को इंकार कर दिया, तीसरे पक्ष को याचिका में सुनवाई का हकदार माना क्योंकि यह वास्तव मेंआदेश XX1 नियम 97 के तहत आवेदन था आदेश XXI नियम 97 के तहत आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक संपत्ति में अधिकार, हक़ या हित से संबंधित प्रश्नों को आवेदन के भीतर ही निपटाया जाएगा, न कि अलग वाद से।

प्रतिवादी ने प्रतिवादियों को बेदखल करने के लिए स्वत्व वाद दायर किया, जिस पर डिक्री हो गई । उसने कब्जा प्राप्त करने के लिए निष्पादन याचिका दायर की। निर्णित ऋणी संख्या 7 ने परिसर खाली नहीं किया और नाजिर को बताया कि यह परिसर अपीलकर्ता-एक सूफी आश्रम का है। अपीलकर्ता (आपत्तिकर्ता) ने सी.पी.सी की धारा 15 के तहत आवेदन दायर किया, जिसे विचारण न्यायालय ने पंजीकृत किया था। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता-आपत्तिकर्ता (एक तृतीय पक्ष) का आवेदन समय पूर्व था, क्योंकि डिक्री धारक-प्रतिवादियों ने आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया था।

अपीलकर्ताओं ने एक ही संपत्ति के संबंध में एक पृथक स्वत्व वाद दायर करने के अलावा, डिक्री धारक द्वारा दायर आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत आवेदन में सुनवाई के लिए उपरोक्त निष्पादन मामले में एक कैविएट दायर किया।

डिक्री धारक-प्रतिवादियों ने कब्जे के परिदान की रिट जारी करने के लिए एक याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने निष्पादन न्यायालय से याचिका को आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत एकआवेदन के रूप में मानने का अनुरोध किया। निष्पादन न्यायालय ने अपीलकर्ता की प्रार्थना यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकृत कर दिया कि अपीलकर्ता के पास आपत्ति उठाने हेतु सुने जाने का अधिकार नहीं था, और उनके लिए एकमात्र उपाय आदेश 21 नियम 99 सी.पी.सी के तहत उपलब्ध था। पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि अपीलकर्ता ने पहले ही घोषणा के लिए स्वत्व वाद दायर कर दिया था कि प्रतिवादी-डिक्री धारक द्वारा दायर वाद उस पर बाध्यकारी नहीं था, वह उसी राहत के लिए आदेश 21 नियम 97 के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने प्रतिवाद किया कि कब्जे के परिदान की रिट जारी करने के लिए डिक्री धारक की याचिका को आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए, और उस दशा में अपीलकर्ता अधिपत्य वाले तीसरे पक्षकारके रूप में आपत्ति दर्ज करने का हकदार होगा।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. कब्जे के परिदान की रिट जारी करने की याचिका वास्तव में आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत एक आवेदन है। यद्यपि यह विशेष रूप से इंगित नहीं किया गया है, लेकिन आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता के कहने पर, कब्जे के परिदान में प्रतिरोध/अवरोधन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उल्लेखित है कि अपीलार्थी-समाज का कार्यालय प्रश्नगत परिसर के एक भाग में संचालित किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि निर्णित ऋणी द्वारा एक व्यक्ति को सोसायटी के सचिव के रूप में स्थापित किया गया है। सशस्त्र पुलिस और महिला सिपाही आदि की सहायता से सभी बाधाओं को हटाकर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गई है। इस तरह के आवेदन की परिकल्पना आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत की गई है और यह स्थिति होने के कारण, यह अपीलकर्ता कोडिक्रीधारक द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई भी आदेशपारित होने से पहले सुनने का अधिकार देता है। अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अदालत को आपत्तियां दायर करने के अपने इरादे के बारे में पहले ही सूचित कर दिया और सुनवाई का अनुरोध किया। एक बार जब डिक्री-धारक द्वारा एक आवेदन दायर किया गया, तो अपीलकर्ता को सुनवाई से इनकार करने का कोई अवसर नहीं था। [13-जी-एच; 14-ए-सी]

2. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता संपत्ति पर अपने स्वतंत्र अधिकार का दावा कर रहा है और उस पर अपने कब्जेका प्रख्यान कर रहा है। आदेश 21 नियम 101 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि आवेदन के न्याय निर्णयन से संबंधित संपत्ति में अधिकार, हक़ या हित से संबंधित सभी प्रश्न, आवेदन के भीतर ही निपटाए जाएंगे, न कि एक अलग वाद द्वारा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस आधार पर सुनने से इंकार कर दिया कि उसने पहले से ही अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए एक वाद दायर किया है और यह घोषणा करने के लिए कि डिक्री-धारक-प्रतिवादियों द्वारा दायर स्वत्व वाद में पारित डिक्री बाध्यकारी नहीं है। यह अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत करते समय निष्पादन न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता का उपचार केवल आदेश 21 नियम 99 सी.पी.सी के तहत एक आवेदन दायर करके झूठ बोलना भी त्रुटिपूर्ण है। |14-जी, एच; 15-एजे

ब्रह्मदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जयसवाल एवं अन्य, |1997| 3एस.सी.सी694, पर निर्भर।

श्रीनाथ और अन्य. बनाम राजेश और अन्य, [1994] 4एससीसी543, संदर्भित।

3. निष्पादन न्यायालय अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद डिक्री-धारक-प्रतिवादियों द्वारा दिए गए कब्जे के परिदान की रिट जारी करने के लिए आवेदन का व्ययन करेगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील संख्या एस5457।

सीआर संख्या 342/2001 में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.2001 से।

एस.बी. अपीलकर्ताओं की ओर से सान्याल और श्रीमती सुमितामुखर्जी।

फ़िरोज़अहमद, आर.एस. शर्मा, एस.के. प्रतिवादी की ओर से उपाध्याय और रंजन द्विवेदी।

न्यायालय का फैसला ब्रिजेश कुमार, जे. द्वारा सुनाया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

28.09.2001 को सम्मन जारी करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"सम्मन केवल इस सवाल तक सीमित है कि याचिकाकर्ता को आदेश XXI नियम 97 सी.पी.सी. के तहत आवेदन के साथ आगे बढ़ने या सिविल वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए दो उपायों में से कम से कम एक को अपनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। अगले आदेश तक याचिकाकर्ता को डिक्री के निष्पादन में कब्जे से"हटाया नहीं जाएगा ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी बीबीहलीमन और अन्य ने प्रतिवादियों को बेदखल करने के लिए 1983 का स्वत्व वाद संख्या नंबर 8 दायर किया था। यह मुकदमा गिरिडीह नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में स्थित होल्डिंग नंबर 116 (पुराना)/182 (नया)) से संबंधित है। इस वादकी डिक्री बीबी हलीमन के पक्ष में दिया गया था।

जिसमें प्रतिवादियों को वाद संपत्ति का कब्जा वादी को सौंपना था। डिक्री धारक बीबी हलीमन और अन्य ने ऊपर बताए गए परिसर का कब्जा प्राप्त करने के लिए 1984 का निष्पादन मामला संख्या 12 दायर किया। बताया जाता है कि नजीर की रिपोर्ट दिनांक 26.07.1992 के अनुसार, निर्णित ऋणी नंबर 1 से 6 तक ने वाद परिसर खाली कर दिया था, लेकिन निर्णित ऋणी नंबर 7कहामतुल्ला के पुत्र सिवैतुल्ला ने कब्जा नहीं दिया था, और जिस समय नाजिर कब्जे के परिदान निष्पादित करने के लिए गया था, उसने पाया कि निर्णित ऋणी था। बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टरों ने, नाजिर को बताया कि निर्णित ऋणीएक हृदय रोगी था और उसे कब्जे के परिदान के वारंट के बारे में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उसकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्जदार के बेटे ने नाजिर को बताया कि संपत्ति सूफी आश्रम की है, जहां पंजीकरण संख्या 196 तंजीम-ए-सूफिया सूफी संत आश्रम के साथ सूफी ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है, इसलिए कब्जे के परिदान प्रभावित नहीं हो सकता है। निर्णित ऋणी संख्या 7 ने धारा 1एस1सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन दायर किया। तन्ज़ीमसूफिया के सचिव अशोक कुमार गुप्ता की ओर से उक्त आवेदन विविध के रूप में पंजीकृत किया गया था। 14.02.1994 के आदेश द्वारा 1994 का प्रकरण क्रमांक1. डिक्री धारक ने उच्च न्यायालय की रांची पीठ के आदेश दिनांक 14.02.1994 के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण संख्या 125/94आर दायर की। पुनरीक्षण दिनांक 13.09.1994 को अनुज्ञात किया गया और आदेश दिनांक 14.02.1992 को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दिनांक 03.08.1992 और 02.10.1993 के आवेदन, आपत्तिकर्ता, तीसरे पक्ष की ओर से दायर किए गए थे। जब डिक्री धारक ने नाजिर की रिपोर्ट के बावजूद, आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत आवेदन दायर नहीं किया, तो निष्पादन की कार्यवाही समयपूर्व थी।

अपीलकर्ता ने उसी परिसर के संबंध में डिक्री धारकों के विरुद्ध 1993 का स्वत्व वाद संख्या 66 भी दायर किया, जिसमें उनके पक्ष में स्वामित्व की घोषणा करने, कब्जे की पुष्टि करने और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बेदखल पाए जाने की प्रार्थना की गई। कब्जा वापस पाने के लिए डिक्री की भी प्रार्थना की

गई। आगे प्रार्थना की गई कि 1993 के स्वत्व वाद संख्या 8 में प्राप्त डिक्री को वादी, अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया जाए। 1984 के निष्पादन वाद संख्या 12 में, अपीलकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के तहत एक कैविएट दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि यदि डिक्री धारक द्वारा आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो उस स्थिति में किसी भी आदेश को पारित करने से पहले कैविएटर को सुना जा सकता है। ऐसे आवेदन पर आदेश, इसके बाद डिक्री धारक ने कब्जे के परिदान की रिट जारी करने के लिए दिनांक 13.03.1995 को एक याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने कार्यकारी अदालत से डिक्री धारक द्वारा दिए गए दिनांक 13.03.1995 के उक्त आवेदन को आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत एक याचिका के रूप में मानने का अनुरोध किया। निष्पादन न्यायालय ने आदेश 17.08.2001 द्वारा, दिनांक 13.03.1995 के आवेदन को संप्रेक्षण करते हुए अपीलकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकृत किया कर दिया।

आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत याचिका में कहा गया है कि अपीलकर्ता के पास आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है और उसके लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय आदेश 21 नियम 99 सी.पी.सी के तहत निष्पादन अदालत में जाना होगा और डिक्री धारक को कब्जा सौंपने का आदेश दिया जाएगा।

अपीलकर्ता ने निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 17.08.2001 के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय में यह प्रस्तुत किया गया कि कब्जे में तीसरा पक्ष कब्जे के परिदान के लिए आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत डिक्री धारक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में आपत्तियां दर्ज करने का हकदार है। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि अपीलकर्ता ने पहले ही 1983 के स्वत्व वाद संख्या 8 में पारित डिक्री को बाध्यकारी नहीं घोषित करने के बाद स्वामित्व की घोषणा के लिए और प्रश्न में संपत्ति पर अपने कब्जे आदि की पुष्टि के लिए एक वाद दायर किया है। इसलिए, यह समान राहत के लिए आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं था।

अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सान्याल ने जोरदार आग्रह किया है कि निष्पादन न्यायालय के समक्ष कब्जा देने के लिए डिक्री धारक द्वारा दायर याचिका दिनांक 13.03.1995 को आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए। और उस स्थिति में, अपीलकर्ता तीसरे पक्ष के रूप में निष्पादन न्यायालय के समक्ष आपत्तियां दायर करने का हकदार होगा और ऐसी आपत्तियां कानून के अनुसार निर्णय लेने योग्य हैं।

आदेश 21 नियम 97 का अवलोकन अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों की उचित सराहना की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार पढ़ता है:

97. अचल संपत्ति के कब्जे का विरोध या बाधा

(1) जहां अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री धारक या डिक्री के निष्पादन में बेची गई ऐसी किसी संपत्ति के क्रेता का संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विरोध या बाधा उत्पन्न की जाती है , वह इस तरह के प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(2) जहां कोई भी आवेदन उप-नियम (1) के तहत किया जाता है, अदालत इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर न्याय निर्णयन करने के लिए आगे बढ़ेगी, "उपरोक्त प्रावधान डिक्री धारक को इसे अदालत के ध्यान में लाने का अधिकार देता है। निष्पादन न्यायालय ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि डिक्री के निष्पादन का संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा विरोध या बाधा उत्पन्न की जा रही है।

निष्पादन न्यायालय नियम 97 के उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन पर कानून के अनुसार फैसला देगी।

हमलोग नियम 99 आदेश 21 का भी अवलोकन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

99. डिक्री धारक या क्रेता द्वारा बेदखली:- (1) जहां निर्णय देनदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री धारक द्वारा अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है या, जहां ऐसी संपत्ति निष्पादन में बेची गई है एक डिक्री, उसके क्रेता द्वारा, वह ऐसी बेदखली की शिकायत के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(2) जहां ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, न्यायालय यहां निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। "

उपरोक्त प्रावधान का लाभ तब उठाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्र अधिकार का दावा कर रहा हो, उसे बेदखल कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में तीसरा व्यक्ति निष्पादन न्यायालय में बेदखली की शिकायत कर सकता है।

आदेश 21 के नियम 101 का अध्ययन करना भी उचित होगा, यह इस प्रकार है:

101. निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न नियम 97 या नियम 99 के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों और आवेदन के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक सभी प्रश्नों (संपत्ति में स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित) को हल किया जाएगा। आवेदन से निपटने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि किसी अलग मुकदमे द्वारा और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा। ।"

हम पहले ही देख चुके हैं कि डिक्री धारक द्वारा प्राप्त डिक्री को उत्तरदाताओं द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था, जहां तक कि यह प्रतिवादी संख्या 7 से संबंधित था। दूसरों के मुकाबले डिक्री निष्पादित की गई थी। डिक्री धारक ने इस प्रकार एक आवेदन दायर किया, अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि इसे आदेश 21 नियम 97 के तहत डिक्री धारक द्वारा एक आवेदन के रूप में माना जाए। हमें लगता है कि दिनांक 13.03.1995 की याचिका वास्तव में आदेश 21 के तहत एक आवेदन है। नियम 97 सी.पी.सी. यद्यपि उक्त प्रावधान को आवेदन में विशेष रूप से इंगित नहीं किया गया है, लेकिन आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता के कहने पर, कब्जा देने में प्रतिरोध/बाधा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यह है उल्लेख किया कि तंजीम-ए-सूफिया का कार्यालय, जिसे सूफिया आश्रम के नाम से जाना जाता है, संबंधित परिसर के एक हिस्से में चलाया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि किसी अशोक कुमार गुप्ता को निर्णित ऋणी द्वारा सोसायटी के सचिव के रूप में स्थापित किया गया है। सशस्त्र पुलिस व महिला सिपाही आदि के सहयोग से

सभी बाधाओं को दूर कर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गई है।इस तरह के आवेदन की परिकल्पना आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के तहत की गई है और यह स्थिति होने के कारण, यह डिक्री धारक द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता को सुनने का अधिकार देता है। दिनांक 13.03.1995 के आवेदन को आदेश 21 नियम 97 के तहत मानने का कोई सवाल ही नहीं है, वास्तव में यह उस प्रावधान के तहत एक आवेदन है। अपीलकर्ता ने अदालत को आपत्तियां दायर करने के अपने इरादे के बारे में पहले से सूचित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती और सुनवाई का अनुरोध किया। एक बार जब डिक्री-धारक द्वारा 13.3.95 को एक आवेदन दायर किया गया तो अपीलकर्ता को सुनवाई से इनकार करने का कोई अवसर नहीं था। अपीलकर्ता के अनुसार उसके अनुयायियों में से एकचान्दोबीबी द्वारा उसे उपहार में दी गई संपत्ति पर उसका कब्जा है। चांदोबीबी.

अपीलकर्ता श्री सान्याल की ओर से उठाए गए विवाद के समर्थन में इस न्यायालय के एक विनिश्चय पर भरोसा किया गया जो कि [1998]4एससीसी543 श्रीमठ और अन्य बनाम राजेश और अन्यमें रिपोर्ट किया गया था। इस मामले में यहअभिनिर्धारित किया गया है कि "कोई भी व्यक्ति" शब्द में वह व्यक्ति भी शामिल है जो डिक्री से बाध्य नहीं है, जो आपत्तियां दर्ज करने का भी हकदार होगा। इसे आदेश 21 नियम 97 के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्रदान किया गया है, ताकि ऐसे सभी मामलों का निर्णय निष्पादन चरण में ही किया जा सके, ताकि इसके अंतर्गत आने वाली संपत्ति से बेदखल न होने के अधिकार का दावा करने वाले एक स्वतंत्र वाद की लंबी प्रक्रिया को कम किया जा सके। किसी न्यायालय का आदेश, जिस अन्य विनिश्चय पर भरोसा किया गया है वह [1997] 3 एससी 694 ब्रहमदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल और अन्य में बताया गया है। अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पादन न्यायालय को पहले आदेश 21सी.पी.सी के नियम 97 (2) के तहत गुण-दोष के आधार पर आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर न्याय निर्व्ययन चाहिए। यह भी देखा गया है कि इस बात पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि कब्जा पहले दिया जाए और बेदखली की शिकायत पर आदेश 21 नियम 99 के तहत आवेदन बाद में दिया जाए।

हमने पाया कि मामले में अपीलकर्ता संपत्ति पर अपने स्वतंत्र अधिकार का दावा कर रहा है और उस पर अपना कब्जा जता रहा है। आदेश 21 नियम 101 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि आवेदन के निर्णय से संबंधित संपत्ति जे में अधिकार, हक़ या हित से संबंधित सभी प्रश्न, आवेदन के साथ निपटाए जाएंगे, न कि एक अलग वाद से। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस आधार पर सुनने से इंकार कर दिया कि उसने पहले ही अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए एक वाद दायर कर दिया है और यह घोषणा करने के लिए कि 1983 के स्वत्व वाद संख्या 8 में पारित डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है। आदेश 21 नियम 101 सी.पी.सी के तहत निहित प्रावधान आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय के सम्मन से बच गया प्रतीत होता है। हम यह भी संप्रेक्षण करना चाहेंगे कि अपीलकर्ता के आवेदन को नामंजूर करते समय निष्पादन न्यायालय ने जो तर्क दिया था, जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश में दर्शाया गया है, कि अपीलकर्ता का उपचार केवल आदेश 21 के तहत एक आवेदन दायर करने से ही होगा। नियम 99 सी.पी.सी भी ब्रहमदेव चौधरी (सुप्रा) के मामले में गलत है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस बात पर बल नहीं दिया जाना

चाहिए कि कब्जा पहले दिया जाए और आपत्तिकर्ता बाद में आदेश 21 नियम 99 सी.पी.सी के तहत न्यायालय का रुख कर सकता है।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम अपील को अनुज्ञात करते हैं और उच्च न्यायालय के साथ-साथ निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर देते हैं। हम आगे यह प्रावधान करते हैं कि निष्पादन न्यायालय अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए दिनांक 13.03.1995 के आवेदन का नए सिरे से निपटारा करेगा। न्याय हित में यह वांछनीय है कि आवेदन का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

खर्च आसान है।

के.के.टी.अपील अनुज्ञात किया गया .

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>